


16/02/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी का पिर  
नहीं आवे है। पत्रावली अज्ञात, 2020 के  
तालिका में-विवारधीन है। वकील प्रार्थी को  
आज न्यायालय में तीन-तीन बार आवेज  
लक्षणों पर भी साक्ष्य पत्रों पर का पिर  
नहीं आवे पर पत्रावली 0-9, R-3 CPC के  
तहत एलडू द्वारा खातिर की जाती है। पत्रावली  
फैसल हुकर होकर बाद तक मिला हासिल  
हफ्तर है। आदेश खुले न्यायालय में हुकर  
जाकर में लफ्ताकर व न्यायालय में से  
भरी किया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
सांभर लोक (जयपुर)